

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No---

Dated---19/12/14

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.70 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for **Construction of Vinayak- Rikhad-Kotiyag Motar Road(7.00km)** in Almora district falls within jurisdiction of **Rikhad** village (s) in **Bhikyasen** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.70 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


19.12.14

(Full name and official seal of the District Collector)
Signature
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**

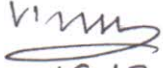
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 19/12/14 at time 3:00 P.m. at Almora in which application claiming rights in Rikhad area measuring 2.70 hectares, for the Construction of Vinayak-Rikhad-Kotiyag Motar Road(7.00km), of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated:19/12/14


19/12/14
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :-

विनायक-रिव्लाड. कोरियाडा मोर माडा

कार्यालय उपजिलाधिकारी, मि. मिश्रा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड प्र. सि. पाटन परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि २५ है०, सिविल सोयम भूमि १.५४० है० तथा वन पंचायत भूमि ०.७२० है० अर्थात कुल वन भूमि २.७०० है०) निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील प्र. सि. पाटन की दिनांक ०१/१२/११ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री सु. एल. निगाम उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1. श्री <u>शुभा. एस. नरिपाल</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. श्री <u>भूपेन्द्र सिंह जीना</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य । |
| 3. श्री <u>आर्य सुहावत</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य । |
| 4. श्री <u>म. वि. गि. गि. गि.</u> | बी0डी0सी0 क्षेत्र | सदस्य । |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपखण्ड अधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड विनायक सिन्हा रोड के अन्तर्गत विनायक सिन्हा रोड मोटर मार्ग का (7.00 किमी०) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी 31/07/21 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड विनयक रिहाड जोड़ पारा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड विनयक रिहाड जोड़ पारा के अन्तर्गत विनयक रिहाड जोड़ पारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपखण्ड सरायी वन अधिकार समिति,
तहसील- ~~डिफाल्ट~~ जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सामिल अधिकारी
उपखण्डांतराध्यक्ष एवं अधिकार समिति
तहसील नरियन जिला अरनामडा
बिधा-बल्मोडा

परियोजना का नाम :-

विनायक-रिखाड-कोरिघाग मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- रिखाड

तहसील :- भिकियासैन जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन में विनायक-रिखाड कोरिघाग मोटर मार्ग के निर्माण (7.00 किमी०) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि 2.700 है०, सिविल सोयम भूमि 1.980 है० तथा वन पंचायत भूमि 0.720 है० अर्थात् कुल वन भूमि 2.700 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिखाड द्वारा दिनांक 5.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रिखाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

प्रधान

ग्राम पंचायत-रिखाड

को ४०-भिकियासैन

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत-रिखाड
को ४०-भिकियासैन
(रिखाड)
विभाग-लो०नि०विभाग
जिला-अल्मोड़ा-उत्तराखण्ड

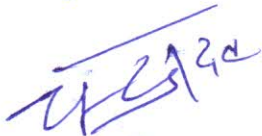
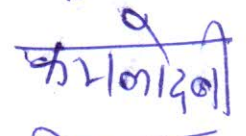
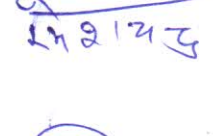
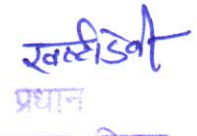
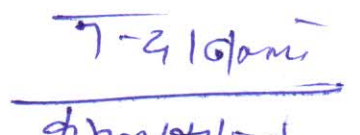
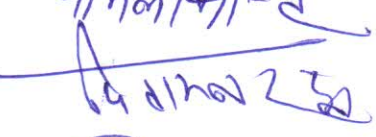
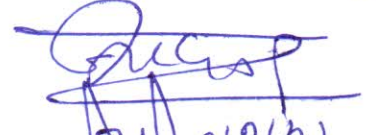
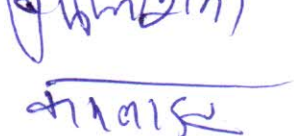
दिनांक 5-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :- रिखाड

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1	रत्ना देवी/हरीश	
2	चन्दा देवी/राधापती	
3	कमला देवी/पंजी कलशायन	
4	रमेश चन्द तालावर	
5	कु. चम्पा	
6	नवीन वैज/बिश्वास	
7	जीतनारायण/प्रेमपति	
8	रत्ना देवी	प्रधान
9	राधा देवी	ग्राम पंचायत-रिखाड
	जीतुनी देवी	वि० ख०-प्रतिपासेक
10	जयदेव	ग्राम प्रधान
11	पिताम्बर/राधापती	
12	जयदेव/पिरदेव	
13	विमलेश्वर/रत्ना देवी	
14	कमला देवी/पिताम्बर	

परियोजना का नाम :-

विनायक - रिवाड़ - मोरियाज मोटर मार्गजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड विनायक के अन्तर्गत विनायक रिवाड़ मोरियाज मोटर मार्ग का निर्माण 7.00 किमी० परियोजना के निर्माण हेतु 2.700 है० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग, रानीखेत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिनियम समिति विनायक तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/ वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
भिकियासैन
बिला-अल्मोड़ा

19.12.14
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रपत्र-23.4

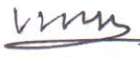
परियोजना का नाम :-

विजायक - रिजवाड़ - कोटियाग मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास खण्ड त्रिफिया/सैन के अन्तर्गत विजायक
रिजवाड़ कोटियाग मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.7५० है० वन भूमि लोक निर्माण
विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय के पत्र 11-9/98 एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण
लाईन, ओ०एफ०सी० केविल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार
अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेशों के क्रम में
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि
पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive
Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
/ नोडल अधिकारी अल्मोड़ा।


19/2/14
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।